फर्द अहकाम

ओंकार बनाम भैरू व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 66/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	
	29/08/25	आज दिनांक 29/08/25 को पत्रावली पेश हुई। अभिभावक संघ द्वारा आज कन्वोलेस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/09/25 को पेश हों।	
	15/09/25	आज दिनांक 15/09/25 को पत्रावली पेश हुई। अभिभावक संघ द्वारा आज कन्वोलेस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/09/25 को पेश हों।	
	29/09/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। तहसीलदार आमेर की ओर से कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। शामिल मिसल। अधिवक्ता वादी को कुरेजात रिपोर्ट पर सुना गया। वादी की ओर से कुरेजात रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से कुरेजात रिपोर्ट के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति अथवा कुरेजात रिपोर्ट का खंडन प्रस्तुत नहीं किया गया है। कुरेजात रिपोर्ट के अवलोकन अनुसार कुरेजात रिपोर्ट विधिक प्रावधानों एवं पक्षकारान हितों के दृष्टिगत तैयार कर प्रस्तुत की गई प्रदर्शित होती है। जिसके संदर्भ में किसी प्रकार की कोई उज्र आपति	

— P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

ओंकार बनाम भैरू व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

66/2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
29/09/25	प्रस्तुत नहीं की गई है। परन्तु साथ ही कुरेजात रिपोर्ट के अवलोकन अनुसार यह स्पष्ट हुआ है कि प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट की प्रस्तावित प्रविष्टी व खंड सं. 02 व 03 के अन्तर्गत मृतक खातेदार भैरू पुत्र भूरा के नाम हिस्सा प्रस्तावित किया गया है। जिसकी मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी है तथा उक्त संदर्भ में प्राथमिक डिक्री के अन्तर्गत मृतक खातेदार/खातेदार भैरू पुत्र भूरा के वारिसान को प्रतिवादीगण सं. 1/1 ता 1/8 के रूप में स्पष्ट अंकित किया गया है तथा उक्तानुसार ही प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। अतः तहसीलदार आमेर की ओर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट की प्रस्तावित प्रविष्टी के खंड सं. 02, 03 के अन्तर्गत अंकित खातेदार/खातेदार भैरू पुत्र भूरा के स्थान पर उक्त मृतक के वारिसान प्रतिवादीगण सं. 1/1 ता 1/8 को अंकित किया जाकर प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट में उक्त आंशिक संशोधन अनुसार वाद वादी प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार इस निर्देश के अधीन अंतिम डिक्री किया जाता है कि निर्णय/अंतिम डिक्री की पालना में मृतक खातेदार के उक्त वारिसान के नाम प्रस्तावित प्रविष्टी विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत निष्पादित विरासत नामांतकरण/फौतगी नामांतकरण के अधीन रहेगी। प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा केस के निर्णय/अंतिम डिक्री का अजूज हिस्सा रहेगी। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर
इजलास **डॉ लक्ष्मीनारायण बुनकर, आर.ए.एस**

वाद संख्या : 66/2025 **निर्णय दिनांक : 29.09.2025**

1. ओंकार पुत्र हनुमान जाति–गुर्जर
निवासी ग्राम लाम्यामेवाल, पटवार हल्का सिरोही, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. भैरू पुत्र भूरा (मृतक खातेदार जरिये वारीसान)
1/1 भागा देवी उर्फ भागोती देवी पत्नी भैरू
1/2. साधुराम पुत्र भैरू
1/3. जगन्नाथ पुत्र भैरू
1/4. शंभुदयाल पुत्र भैरू
1/5. राजेन्द्र पुत्र भैरू
समस्त जाति–गुर्जर, निवासी ग्राम–लाम्यामेवाल, पटवार हल्का सिरोही, तहसील–आमेर, जिला जयपुर।
1/6 गोठी देवी पुत्री भैरू पत्नी निर्मल चन्द्र जाति गुर्जर
निवासी ग्राम सिपूर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
1/7 कैलाशी देवी पुत्री भैरू पत्नी रामधन
1/8 सुशी देवी पुत्री भैरू पत्नी रामस्वरूप
समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम सिरोही तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक शाखा चंदवाजी तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट के गहन अवलोकन व तथ्यो के समग्र विवेचन से प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट विधिक प्रावधानो एवं पक्षकारान हितों के दृष्टिगत तैयार कर प्रस्तुत की गई प्रदर्शित होती है। जिसके संदर्भ में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। परन्तु कुरेजात रिपोर्ट के अवलोकन अनुसार यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट की प्रस्तावित प्रविष्टि के खंड सं. 2 व 3 के अन्तर्गत मृतक खातेदार भैंरू पुत्र भूरा के नाम हिस्सा प्रस्तावित किया गया है। जिसकी मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी है तथा उक्त संदर्भ में प्राथमिक डिक्री के अन्तर्गत मृतक खातेदार/सहखातेदार भैंरू पुत्र भूरा के वारिसान प्रतिवादीगण सं. 1/1 ता. 1/8 के रूप में स्पष्ट अंकित किया गया है तथा उक्तानुसार ही प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। अतः तहसीलदार आमेर की ओर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट की प्रस्तावित प्रविष्टि के खंड सं. 2 व 3 के अन्तर्गत अंकित खातेदार/सहखातेदार भैंरू पुत्र भूरा के स्थान पर उक्त मृतक के वारिसान प्रतिवादीगण सं. 1/1 ता 1/8 को अंकित किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट में उक्त आंशिक संशोधन अनुसार वाद वादी प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार इस निर्देश के अधीन निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है कि निर्णय/अन्तिम डिक्री की पालना में मृतक खातेदार (प्रतिवादी सं. 1) के उक्त वारिसान प्रतिवादीगण सं. 1/1 ता 1/8 के नाम प्रस्तावित प्रविष्टि विधिक प्रकिया के अन्तर्गत निष्पादित विरासत नामान्तरण के अधीन रहेगी। प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा निर्णय/डिक्री का अजूज हिस्सा रहेगी।

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्टि

खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	ओंकार पुत्र हनुमान जाति गुर्जर सा.देह हिस्सा 1/2, भैंरू पुत्र भूरा जाति गुर्जर सा. देह हि. 1/2राहिन हि. 1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा चंदवाजी	342	0.1500	चाही 2, जाव 2	3.06, 0.38
		343	0.1600	चाही 1, जाव 1	4.55, 0.53
		344	0.0900	चाही 1, जाव 1	2.45, 0.35
		345	0.1100	चाही 1, जाव 1	3.15, 0.35
		359	0.0100	गै.मु. चाह	
		360	1.2600	चाही 2	32.13
		366	0.6400	चाही 2	16.32
		367	0.3500	चाही 2	8.93
		376	0.2400	चाही A,जाव A	7.23, 1.47

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

		377 378 410 417 422	0.0600 0.0500 0.5100 0.4300 0.6500	चाही A,जाव A चाही A,जाव A चाही 1 चाही 1 चाही 1, जाव 1	0.85, 0.84 1.70, 0.21 17.85 15.05 18.20, 2.28
	कुल किता	14	4.7100	–	137.88

कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	ओंकार पुत्र हनुमान जाति गुर्जर सा.देह हिस्सा पूर्ण	342 343/3 360/5 366/3 417/2 422	0.15 0.1263 0.5469 0.5655 0.1400 0.6500	चाही 2, जाव 2 चाही 1 चाही 2 चाही 2 चाही 1 चाही 1 जाव 1	
	कुल किता	6	2.1787	–	–
2	भागा देवी उर्फ भागोती देवी पत्नी भैरू, साधुराम पुत्र भैरू, जगन्नाथ पुत्र भैरू शंभुदयाल पुत्र भैरू, राजेन्द्र पुत्र भैरू, गोठी देवी पुत्री भैरू पत्नी निर्मल चन्द्र कैलाशी देवी पुत्री भैरू पत्नी रामधन सुशी देवी पुत्री भैरू पत्नी रामस्वरूप जाति गुर्जर सा. देह हि. पूर्ण राहिन हि. (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा चंदवाजी	345 344 343/1 360/1 360/2 367/1 366/1 410 417/1 376/1 377 378/1	0.1100 0.0900 0.0069 0.6194 0.0042 0.2957 0.0135 0.5100 0.2800 0.1500 0.0600 0.0390	चाही 1, जाव 1 चाही 1, जाव 1 जाव 1 चाही 2 चाही 2 चाही 2 चाही 2 चाही 1 चाही 1 चाही A चाही A जाव A चाही A	
	कुल किता	12	2.1787	–	
3	ओंकार पुत्र हनुमान जाति गुर्जर सा.देह हिस्सा 1/2, भागा देवी उर्फ भागोती देवी पत्नी भैरू, साधुराम पुत्र भैरू, जगन्नाथ पुत्र भैरू शंभुदयाल पुत्र भैरू, राजेन्द्र पुत्र भैरू, गोठी देवी पुत्री भैरू पत्नी निर्मल चन्द्र कैलाशी देवी पुत्री भैरू पत्नी रामधन सुशी देवी पुत्री भैरू पत्नी रामस्वरूप जाति गुर्जर सा. देह हि. 1/2 राहिन हि. पूर्ण स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा चंदवाजी	343/2 360/3 359 360/4 367/2 367/3 366/2 378/2 376/2 417/3	0.0268 0.0205 0.0100 0.0690 0.0443 0.0100 0.0610 0.0110 0.0900 0.0100	चाही 1, जाव 1 चाही 2 गै.मु.चाह चाही 2 चाही 2 चाही 2 चाही 2 चाही A जाव A चाही A जाव A चाही 1	
	कुल किता	10	0.3526	–	

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का विभाजन मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह...............फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.09.2025 को जारी की गई।

दस्तखत .... सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
ओहदा .... पूर्णकालिक-जयपुर

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	02 02		स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	02	
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
पूर्णकालिक-जयपुर